

MATERNITY BENEFIT SCHEME

DETAILS OF THE 'MATERNITY BENEFIT SCHEME' FOR THE INDIAN FEMALE SEAFARER.

1. Pursuant to the objects of the Seafarers' Welfare Fund Society (herein after referred to as the Society) as defined in Article 3(XV) of the Memorandum of Association of the Society, the **Indian female** seafarer, as being eligible in terms of provisions of rule 3 herein below, may be granted the financial assistance under the 'Maternity Benefit Scheme', under the circumstances and to the extent detailed herein below.
2. Such financial assistance under the 'Maternity Benefit Scheme' to the **Indian female** seafarer, shall be paid at the absolute discretion of the society and such financial assistance may be dispensed with and / or curtailed /enhanced, suspended or completely withdrawn at anytime without any prior notice. The availability of **such financial assistance under the 'Maternity Benefit Scheme'** to eligible **Indian female** seafarer, during off article period, does not in any manner confer or create any prescriptive right whatsoever and shall not be called in question.

3. Eligibility.

The scheme is applicable to **those Indian female** seafarers, **holding CDC book**, who are **last** recruited / engaged by the Indian shipowners or through registered RPS, for either Indian or foreign flag vessels, before the delivery date.

The **financial assistance under** the 'Maternity Benefit Scheme' shall be granted to the **Indian female** seafarer, for delivery, on or after 21.08.2014, within off articulated period of 60 months, from the last sign-off from ship.

Such **financial** assistance shall be paid, only for two deliveries, to the eligible **Indian female** seafarer.

4. Quantum.

The quantum of financial assistance under this scheme shall be ₹.25,000/- (₹. Twenty-five thousand only) & **₹ 50,000/- Fifty thousand only for the delivery taken place on or after 27.01.2026)** to the eligible **Indian female** seafarer, restricted to maximum of two deliveries.

5. The Society may approach the Indian ship-owners /registered RPS Company concerned and obtain such particulars as may be necessary for the purpose of payment of financial assistance envisaged under this scheme.
6. To receive the **financial assistance** under this scheme, only such applications will be entertained, **which** are submitted to the Seafarers' Welfare Fund Society, within a period of **two** years, from the date of delivery.
7. Application for financial assistance under this scheme is to be made in the prescribed form, along with attested copy of Birth Certificate of the Child/ report of the medical practitioner and original CDC Book.
8. Notwithstanding anything contained herein above in all doubtful/disputed and/or exceptional cases, the Committee of Management **of the SWF Society** may examine and decide on case to case basis, and its decision shall be final.

SEAFARERS' WELFARE FUND SOCIETY

(Autonomous Body of Ministry of Ports, Shipping and Waterways Government of India)

Nau Bhavan Building, Ground Floor, R. K. Marg, Ballard Estate, Mumbai-400 001

Mob No. 8097552900 / 8097553700,

Email-swfs.dgs@govcontractor.nic.in/swfs.srassit-dgs@govcontractor.nic.in

Application form for Financial Assistance under 'Maternity Benefit Scheme'

(Please refer notes given below before submitting this application form.)

1.	Indian woman Seafarers' Name in full (As per her CDC Book)	Mrs./Ms.
2.	Indian CDC Book number	
3.	Indian ship-owners co. name or Recruitment & Placement Service (RPS) provider Name & Regn. No.	
4.	The Name of the Vessel last signed off	
5.	Correspondence address	
6.	Contact No. & email-id	

1, the undersigned, has undergone pregnancy delivery which took place on _____.

I now request you to grant me, financial assistance under the 'Maternity Benefit Scheme', as per SWF Society's rules as applicable for the scheme. I am submitting herewith following documents, to receive the claim under the scheme. I give below my bank account details (Bank details are mandatory, without which the application will not be processed).

Sr. No.	Documents
1	Attested copy of birth Certificate of Child
2	Copy of latest Indian CDC Book of the Indian woman seafarer showing last sign-off vessel and date
3	Attested copy of latest Indian CDC Book

Details of the bank, where the financial assistance amount to be credited (mandatory)				
Name of the bank	Branch name	Branch address	S.B. A/c no.	Branch IFSC code

(Note: Please attach a legible copy of the front page of Bank pass book of SB account showing applicant's name, duly attested by the Branch Manager of the bank.)

I declare that I am claiming this financial assistance on the strength of the documents submitted as above, and at later date if it is proved that I was not eligible, I undertake to refund the financial assistance received from SWFS, in full to the SWF Society and also authorize the SWF Society to recover the same from me from my any source of Income.

Place: _____

Date: _____

(Applicant's Signature/ Thumb Impression)

Name of Applicant: _____

Note 1: This scheme is applicable only for Indian woman seafarer holding CDC book and is effective from 21.08.2014 & hence date of pregnancy delivery should be on or after 21.08.14. The financial assistant under this scheme is restricted only for two pregnancy deliveries.

Note 2: The date of pregnancy delivery should have taken place within sixty months from the date of sign- off from the last vessel as recorded in the Indian CDC Book.

Note 3: The application for financial assistance should receive by the Society within two years period from the date of birth of the child.

FOR S.W.F.S. OFFICE USE ONLY

Application No.

Documents attached verified & the applicant found eligible/not eligible under Maternity benefit scheme for financial assistance of ₹. _____.
(Rupees _____ only)

Checked by D.A.

Verified by (A.A.O.)
(CAAO)

Recommended by

Approved by MT/MS.

मातृत्व लाभ योजना

भारतीय महिला नाविक के लिए 'मातृत्व लाभ योजना' का विवरण।

1. सोसाइटी के जापनके अनुच्छेद 3(XV) में परिभाषित सोसाइटी के नाविक कल्याण निधि सोसाइटी (जिसे इसके बाद सोसाइटी के रूप में संदर्भित किया गया है) के उद्देश्यों के अनुसार, भारतीय महिला नाविक, जैसा कि यहां नीचे नियम 3 के प्रावधानों के संदर्भ में योग्य है, को यहां नीचे दिए गए परिस्थितियों और विस्तार में 'मातृत्व लाभ योजना' के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है।
2. भारतीय महिला नाविक को 'मातृत्व लाभ योजना' के तहत ऐसी वित्तीय सहायता का भुगतान सोसायटी के पूर्ण विवेक पर किया जाएगा और ऐसी वित्तीय सहायता को किसी भी पूर्व सूचना के बिना किसी भी समय समाप्त/या कम/बढ़ाया जा सकता है, निलंबित या पूरी तरह से वापस लिया जा सकता है। ऑफ आर्टिकल अवधि के दौरान पात्र भारतीय महिला नाविक को 'मातृत्व लाभ योजना' के तहत इस तरह की वित्तीय सहायता की उपलब्धता किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का निर्देशात्मक अधिकार प्रदान नहीं करती है और न ही बनाती है और इस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।
3. **पात्रता**
यह योजना उन भारतीय महिला नाविकों पर लागू होती है, जिनके पास सीडीसीडीसी बुक है, जो डिलीवरी की तारीख से पहले भारतीय या विदेशी ध्वज वाले जहाजों के लिए भारतीय पोत मालिकों या पंजीकृत आरपीएस के माध्यम से अंतिम भर्ती/कार्यरत हैं।
नौका से अंतिम हस्ताक्षर से 60 महीने की अवधि के भीतर, 21.08.2014 को या उसके बाद प्रसव के लिए, 'मातृत्व लाभ योजना' के तहत वित्तीय सहायता भारतीय महिला नाविक को दी जाएगी।
ऐसी वित्तीय सहायता, केवल दो डिलीवरी के लिए, पात्र भारतीय महिला को दी जाएगी नाविक।
4. **राशी**
इस योजना के तहत वित्तीय सहायता की मात्रा ₹. 25,000/(₹। केवल पच्चीस हजार) और ₹(990099/- केवल पचास हजार 27.01.2026 को या उसके बाद की डिलीवरी के लिए) पात्र भारतीय महिला नाविक को, अधिकतम दो डिलीवरी तक सीमित।
5. सोसाइटी संबंधित भारतीय पोत-मालिकों/पंजीकृत आरपीएस कंपनी से संपर्क कर सकती है और इस योजना के तहत परिकल्पित वित्तीय सहायता के भुगतान के उद्देश्य से आवश्यक विवरण प्राप्त कर सकती है।
6. इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए, केवल ऐसे आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, जो वितरण की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर, नाविक कल्याण निधि सोसायटी को प्रस्तुत किए जाते हैं।
7. इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में, बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति/चिकित्सा व्यवसायी की रिपोर्ट और मूल सीडीसी पुस्तक के साथ किया जाना है।
8. यहाँ ऊपर किसी भी बात के बावजूद सभी संदिग्ध/विवादित और/या असाधारण मामलों में, एसडब्ल्यूएफ सोसायटी की प्रबंधन समिति मामले के आधार पर जांच और निर्णय ले सकती है, और उसका निर्णय अंतिम होगा

नाविक कल्याण निधि सोसायटी

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्त निकाय)

नौ भवन बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, आर. के. मार्ग, बलाई एस्टेट, मुंबई-400 001

मोबाइल नं. 8097552900/8097553700.

ईमेल- swfs.dgs@govcontractor.nic.in/swfs.srassit-dgs@govcontractor.nic.in

मातृत्व लाभ योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र

(कृपया इस आवेदन पत्र को जमा करने से पहले नीचे दिए गए नोट्स देखें)

1.	भारतीय महिला नाविकों का पूरा नाम (उनकी सीडीसी पुस्तक के अनुसार)	श्री/एमएस
2.	भारतीय सीडीसी पुस्तक संख्या	
3.	भारतीय पोत-मालिकों का नाम या भर्ती और नियोजन सेवा (आरपीएस) प्रदाता का नाम और पंजीकरण संख्या	
4.	अंतिम साईन ऑफ जलयान का नाम	
5.	पत्राचार का पता	
6.	संपर्क संख्या. और - ईमेल आईडी	

मैं, अधोहस्ताक्षरी, गर्भावस्था प्रसव से गुज़री है जो _____ पर हुआ था।

मैं अब आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे, योजना के लिए लागू एसडब्ल्यूएफ सोसाइटी के नियमों के अनुसार, 'मातृत्व लाभ योजना' के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करें। मैं योजना के तहत दावा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं नीचे अपना बैंक खाता विवरण देती हूँ (बैंक विवरण अनिवार्य हैं, जिसके बिना आवेदन संसाधित नहीं किया जाएगा)।

क्र. सं.	दस्तावेज़
1	बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
2	भारतीय महिला नाविक की नवीनतम भारतीय सीडीसी पुस्तक की प्रति जिसमें अंतिम हस्ताक्षर दिखाया गया है पोत और तिथि
3	नवीनतम भारतीय सीडीसी पुस्तक की सत्यापित प्रति

बैंक का विवरण, जहां वित्तीय सहायता राशि जमा की जानी है (अनिवार्य)				
बैंक का नाम	शाखा का नाम	शाखा का पता	एसबीए/सी नंबर।	शाखा आईएफएसी कोड

(टिप्पणी: कृपया बैंक के पास बुक के पहले पृष्ठ की एक सुपाठ्य प्रति संलग्न करें जिसमें आवेदक का नाम, बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा विधिवत सत्यापित हो

मैं घोषणा करता हूं कि मैं उपरोक्त रूप से प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इस वित्तीय सहायता का दावा कर रहा हूं, और बाद में यदि यह साबित हो जाता है कि मैं पात्र नहीं था, तो मैं एसडब्ल्यूएफएस से प्राप्त वित्तीय सहायता को पूर्ण रूप से एसडब्ल्यूएफ सोसाइटी को वापस करने का वचन देता हूं और एसडब्ल्यूएफ सोसाइटी को मेरे किसी भी आय के स्रोत से इसे मेरे पास से वसूल करने के लिए अधिकृत करता हूं।

स्थान: _____

तारीख: _____

(आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)

आवेदक का नाम:

टिप्पणी 1: यह योजना केवल भारतीय महिला नाविक के लिए लागू है जिसके पास सीडीसीडीसी बुक है और यह 21.08.2014 से प्रभावी है और इसलिए गर्भावस्था की तारीख डिलीवरी पर या उसके बाद होनी चाहिए 21.08.14. इस योजना के तहत वित्तीय सहायक केवल दो प्रसवों के लिए प्रतिबंधित है।

टिप्पणी 2: गर्भावस्था की डिलीवरी की तारीख भारतीय सीडीसीडीसी बुक में दर्ज अंतिम पोट से साइन-ऑफ की तारीख से साठ महीनों के भीतर होनी चाहिए।

टिप्पणी 3: वित्तीय सहायता के लिए आवेदन बच्चे के जन्म की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर सोसायटी द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए।

केवल एस.डब्ल्यू.एफ.एस. कार्यालय उपयोग के लिए

आवेदन संख्या.

संलग्न दस्तावेज़ सत्यापित किए गए और आवेदक को वित्तीय सहायता के लिए मातृत्व लाभ योजना के तहत पात्र/अपात्र पाया गया। (केवल-----रुपये) _____

डीए द्वारा जाँच की गई

(एएओ) द्वारा सत्यापित

(सीएएओ) द्वारा अनुशंसित

एमटी द्वारा अनुमोदित/एमएस।